

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प.1(1)कार्मिक/क-4/2018

जयपुर, दिनांक:- 10 AUG 2018

श्री शंकर लाल सालवी, आर.ए.एस.,
उप खण्ड अधिकारी, बागीदौरा,
बांसवाड़ा

विषय:- नवीन पद पर कार्यग्रहण करने बाबत नोटिस।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2018 के द्वारा आपका स्थानान्तरण/पदस्थापन उपखंड अधिकारी, बागीदौरा, बांसवाड़ा से उपखंड अधिकारी, आसपुर, डूंगरपुर के पद पर किया गया था। आपने आदिनांक तक नवीन पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किया है जिसे राज्य सरकार ने गम्भीरता से लिया है।

विभाग द्वारा दूरभाष पर आपसे बार-बार संपर्क किये जाने एवं कार्मिक विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 01.08.2018 द्वारा निर्देशित किये जाने पर भी आपने राज्यादेशों की पालना नहीं की है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अविलम्ब नवीन पद पर कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्मिक विभाग की मेल आई. डी. itcell.dop@rajasthan.gov.in पर भिजवावें, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना के लिए आपके विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावे।


(अरविन्द कुमार पोसवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि- जिला कलक्टर, डूंगरपुर/जिला कलक्टर, बांसवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि श्री शंकर लाल सालवी, आर.ए.एस. की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण रिपोर्ट अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें।


संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प.1(1)कार्मिक/क-4/2018

जयपुर, दिनांक:-


10 AUG 2018

श्री अनिल कुमार, आर.ए.एस.,
उप खण्ड अधिकारी, फलौदी,
जैसलमेर

विषय:- नवीन पद पर कार्यग्रहण करने बाबत नोटिस।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2018 के द्वारा आपका स्थानान्तरण/पदस्थापन उपखंड अधिकारी, फलौदी, जोधपुर से उपखंड अधिकारी, पोकरण, जैसलमेर के पद पर किया गया था। आपने आदिनांक तक नवीन पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किया है जिसे राज्य सरकार ने गम्भीरता से लिया है।

विभाग द्वारा दूरभाष पर आपसे बार-बार संपर्क किये जाने एवं कार्मिक विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 01.08.2018 द्वारा निर्देशित किये जाने पर भी आपने राज्यादेशों की पालना नहीं की है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अविलम्ब नवीन पद पर कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्मिक विभाग की मेल आई. डी. itcell.dop@rajasthan.gov.in पर भिजवावें, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना के लिए आपके विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावे।


(अरविन्द कुमार पोसवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि- जिला कलक्टर, जोधपुर/जिला कलक्टर, जैसलमेर को प्रेषित कर लेख है कि श्री अनिल कुमार, आर.ए.एस. की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण रिपोर्ट अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें।


संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प.1(1)कार्मिक/क-4/2018


जयपुर, दिनांक:- 10 AUG 2018

श्री कमल सिंह यादव, आर.ए.एस.,
उप सचिव, नगर विकास न्यास,
भिवाडी, अलवर

विषय:- नवीन पद पर कार्यग्रहण करने बाबत नोटिस।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.07.2018 के द्वारा आपका स्थानान्तरण/पदस्थापन उप सचिव, नगर विकास न्यास, भिवाडी, अलवर से उपखंड अधिकारी, भवानीमंडी, झालावाड़ के पद पर किया गया था। आपने आदिनांक तक नवीन पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किया है जिसे राज्य सरकार ने गम्भीरता से लिया है।

विभाग द्वारा दूरभाष पर आपसे बार-बार संपर्क किये जाने एवं कार्मिक विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 01.08.2018 द्वारा निर्देशित किये जाने पर भी आपने राज्यादेशों की पालना नहीं की है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अविलम्ब नवीन पद पर कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्मिक विभाग की मेल आई. डी. itcell.dop@rajasthan.gov.in पर भिजवावें, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना के लिए आपके विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावे।


(अरविन्द कुमार पोसवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि- सचिव, नगर विकास न्यास, भिवाडी, अलवर/जिला कलक्टर, झालावाड़ को प्रेषित कर लेख है कि श्री कमल सिंह यादव, आर.ए.एस. की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण रिपोर्ट अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें।


संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प.1(1)कार्मिक/क-4/2018

जयपुर, दिनांक:- 01 AUG 2018


श्री जयवीर सिंह, आर.ए.एस.,
निवासी-ए-43, 44, जनकपुरी कॉलोनी,
मुखर्जी फार्म के सामने, पांच्यावाला,
सिरसी रोड़, जयपुर

विषय:- नवीन पद पर कार्यग्रहण करने बाबत नोटिस।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.07.2018 के द्वारा आपका स्थानान्तरण/पदस्थापन उपखंड अधिकारी, कुशलगढ़, बांसवाड़ा से उपखंड अधिकारी, विराटनगर, जयपुर के पद पर किया गया था जिसकी पालना में आप दिनांक 03.08.2018 को अपने पूर्व पद से कार्यमुक्त हो गये हो परन्तु आपने आदिनांक तक नवीन पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किया है जिसे राज्य सरकार ने गम्भीरता से लिया है।

विभाग द्वारा दूरभाष पर आपसे बार-बार संपर्क किये जाने एवं कार्मिक विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 01.08.2018 द्वारा निर्देशित किये जाने पर भी आपने राज्यादेशों की पालना नहीं की है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अविलम्ब नवीन पद पर कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्मिक विभाग की मेल आई.डी. itcell.dop@rajasthan.gov.in पर भिजवावें, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना के लिए आपके विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावे।


(अरविन्द कुमार पोसवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि- जिला कलक्टर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री जयवीर सिंह, आर.ए.एस. द्वारा कार्यग्रहण करने पर कार्यग्रहण रिपोर्ट अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें।


संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प.1(1)कार्मिक/क-4/2018


जयपुर, दिनांक:- 10 AUG 2018

श्री आलोक जैन, आर.ए.एस.,
प्रोटोकॉल अधिकारी,^{GAO,} अजमेर

विषय:- नवीन पद पर कार्यग्रहण करने बाबत नोटिस।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.07.2018 के द्वारा आपका स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रोटोकॉल अधिकारी,^{GAO,} अजमेर से उपखंड अधिकारी, फालौदी, जोधपुर के पद पर किया गया था। आपने आदिनांक तक नवीन पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किया है जिसे राज्य सरकार ने गम्भीरता से लिया है।

विभाग द्वारा दूरभाष पर आपसे बार-बार संपर्क किये जाने एवं कार्मिक विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 01.08.2018 द्वारा निर्देशित किये जाने पर भी आपने राज्यादेशों की पालना नहीं की है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अविलम्ब नवीन पद पर कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्मिक विभाग की मेल आई. डी. itcell.dop@rajasthan.gov.in पर भिजवावें, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना के लिए आपके विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावे।


(अरविन्द कुमार पोसवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि- जिला कलक्टर, अजमेर/जिला कलक्टर, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री आलोक जैन, आर.ए.एस. की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण रिपोर्ट अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें।


संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प. 1 (1) कार्मिक/क-4/2018

जयपुर, दिनांक:- 10 AUG 2018

श्री जय सिंह- II,


आर.ए.एस.,

विषय:- नवीन पद पर कार्यग्रहण करने बाबत नोटिस।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.07.2018 के द्वारा आपका स्थानान्तरण/पदस्थापन उपखंड अधिकारी, रूपवास (भरतपुर) से उपखंड अधिकारी, कटूमर (अलवर) के पद पर किया गया था जिसकी पालना में आप दिनांक 03.08.2018 को अपने पूर्व पद से कार्यमुक्त हो गये हो परन्तु आपने आदिनांक तक नवीन पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किया है जिसे राज्य सरकार ने गम्भीरता से लिया है।

विभाग द्वारा दूरभाष पर आपसे बार-बार संपर्क किये जाने एवं कार्मिक विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 01.08.2018 द्वारा निर्देशित किये जाने पर भी आपने राज्यादेशों की पालना नहीं की है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अविलम्ब नवीन पद पर कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्मिक विभाग की मेल आई. डी. itcell.dop@rajasthan.gov.in पर भिजवावें, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना के लिए आपके विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावे।


(अरविन्द कुमार पोसवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि- जिला कलक्टर, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि श्री जय सिंह- II, आर.ए.एस. द्वारा कार्यग्रहण करने पर कार्यग्रहण रिपोर्ट अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें।


संयुक्त शासन सचिव